



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042022-234852
CG-DL-E-05042022-234852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944

No. 182]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में, “3(4)” अंकों और कोष्ठक के स्थान पर “3(3)” अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- मूल विनियमों में, विनियम 5 के उप-विनियम (2) में “तीन” शब्द के स्थान पर “सात” शब्द रखा जाएगा।
- मूल विनियमों में, विनियम 10 के उप-विनियम (2) और उप-विनियम (2) के खंड (द) में, “कारपोरेट ऋणी” शब्दों के स्थान पर “कारपोरेट व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल विनियमों में, विनियम 30 में, उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु जहां लेनदारों से, दावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख तक कोई दावा प्राप्त नहीं किया गया है वहां परिसमापक, दावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर हितधारकों की सूची तैयार करेगा।”

6. मूल विनियमों में, विनियम 35 के उप-विनियम (1) में, “छः महीने” शब्दों के स्थान पर “तीस दिन” शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल विनियमों में, विनियम 37 के उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) परिसमापक, –

(क) जहां लेनदारों ने धारा 59 की उपधारा (3) के खंड (ग) या विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन समाधान का अनुमोदन किया है, वहाँ समापन प्रारंभ होने से दो सौ सत्तर दिन; और

(ख) अन्य सभी मामलों में, समापन प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर कारपोरेट व्यक्ति की समापन प्रक्रिया पूरी करने और विनियम 38 के अधीन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा।”

8. मूल विनियमों में, विनियम 38 के उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) परिसमापक, अंतिम रिपोर्ट और धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन आवेदन सहित प्ररूप-ज में अनुपालन प्रमाणपत्र, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।”

9. मूल विनियमों में, विनियम 39 के उप-विनियम (7) में, “प्ररूप ज” शब्द और अक्षर के स्थान पर “प्ररूप झ” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

10. मूल विनियमों में, अनुसूची-1 में, “प्ररूप-ज” शब्द और अक्षर के स्थान पर “प्ररूप-झ” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

11. मूल विनियमों की अनुसूची-1 में, प्ररूप-छ के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप-ज

अनुपालन प्रमाणपत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 38(3) के अधीन]

मैं.....(परिसमापक का नाम), जो कि(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) के पास नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण संख्यांक(रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) के साथ रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक हूं,(कारपोरेट व्यक्ति का नाम) की स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के लिए परिसमापक हूं।

2. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के व्यौरे निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	विशिष्टियां	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	कारपोरेट व्यक्ति का नाम	
2	कारपोरेट व्यक्ति का सी.आई.एन./एल.एल.पी.आई.एन.	
3	एन.सी.एल.टी. पीठ	
4	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया आरंभ करने की तारीख	
5	परिसमापक नियुक्त करने की तारीख	
6	परिसमापक का आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
7	क्या परिसमापक को प्रक्रिया के दौरान बदला गया था (हां/नहीं) यदि हां, तो पूर्ववर्ती परिसमापक का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक पूर्ववर्ती परिसमापक को बदले जाने की तारीख	

8	समापन के लिए बैंक खाता खोले जाने की तारीख (खाते के ब्यौरे सहित)	
9	अनाहृत पूंजी/असमादत्त पूंजी अभिदाय के लिए नोटिस की तारीख	
10	अनाहृत पूंजी/असमादत्त पूंजी अभिदाय की वसूली की तारीख	
11	कानूनी प्राधिकरण को सूचित करने की तारीख, जो भी लागू हो- क. भविष्य निधि(पी.एफ.) ख. कर्मचारी राज्य बीमा(ई.एस.आई.) ग. आय-कर घ. कारखाना निरीक्षक ङ. जी.एस.टी./वैट च. भारतीय रिजर्व बैंक छ. अन्य	
12	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम: क. अदावाकृत लाभांश की रकम ख. अवितरित आगमों के रकम ग. विनियम 39 के उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट आय घ. विनियम 39 के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट ब्याज कुल:	
13	परिसमापक का पारिश्रमिक(रुपए)	

3. कारपोरेट व्यक्ति के ब्यौरे

क्रम सं.	विशिष्टियां	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	निगमन का वर्ष	
2	संक्षेप में उद्देश्य	
3	समादत्त शेयर पूंजी/पूंजी(रकम रूपयों में)	
4	समापन प्रारंभ होने की तारीख को यथा-विद्यमान आस्तियां (रकम रूपयों में)	
5	समापन प्रारंभ होने की तारीख को यथा-विद्यमान संदेय ऋण (रकम रूपयों में)	
6	कारपोरेट व्यक्ति की शुद्ध संपत्ति(रकम रूपयों में)	
7	संक्षेप में स्वैच्छिक समापन आरंभ करने के लिए कारण	

4. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के दौरान वसूली के ब्यौरे:

क्रम सं.	विशिष्टियां	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	आस्तियों का विक्रय	
2	कानूनी प्राधिकरणों से प्रतिदाय	
3	नकदी/बैंक अतिशेष	

4	अनाहृत/असमादत्त पूंजी की वसूली	
5	अविक्रीत आस्ति का वितरण	
6	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
	कुल	

5. संहिता की धारा 52 या धारा 53 के अनुसार हितधारकों को किए गए वितरण के ब्यौरे -

(लाख रुपयों में रकम)

क्रम सं.	धारा 52 और 53(1) के अधीन हितधारक*	दावाकृत रकम	स्वीकृत रकम	वितरित रकम	दावाकृत रकम के मुकाबले वितरित रकम(%)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रतिभूति हित की वसूली [धारा 52(1)(ख)]					
2	समापन लागत [धारा 53(1)(क)]					
3	कर्मकारों के देय [धारा 53(1) (ख) (i)]					
4	प्रतिभूत लेनदारों के ऋण [धारा 53 (1)(ख)(ii)]					
5	कर्मचारियों की मजदूरी और असंदत्त देय [धारा 53(1)(ग)]					
6	अप्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के ऋण [धारा 53(1)(घ)]					
7	सरकारी देय+ प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के पश्चात् असंदत्त रकम [धारा 53(1)(ङ)]					
8	कोई बकाया ऋण और देय [धारा 53(1)(च)]					
9	अधिमानि शेयरधारक [धारा 53(1)(छ)]					
10	साधारण शेयरधारक [धारा 53(1)(ज)]					
	कुल					

* यदि किसी प्रवर्ग में उप-प्रवर्ग हैं तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्ति जोड़ें।

6. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का संचालन अनुबद्ध समय-सीमा के अनुसार किया गया है:

क्रम सं.	धारा/विनियम	कार्य का वर्णन	मानदंड (दिनों की संख्या)	अनुपालन की तारीख	वास्तविक समयसीमा (दिनों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	धारा 59(3)(क), विनियम 3(1)(क)	अधिकांश निदेशकों/ भागीदारों की ओर से कारपोरेट व्यक्ति की शोधन क्षमता और इस संबंध में घोषणा कि उसका समापन किसी व्यक्ति को कपट-वंचित करने के लिए नहीं किया जा रहा है	टी-28		
2	धारा 59(3)(ग) और (5), विनियम 3(1)(ग) और 3(3)	सदस्यों/भागीदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने और दिवाला व्यावसायिक की परिसमापन के रूप में नियुक्ति किए जाने के बारे में संकल्प/ विशेष संकल्प पारित किया जाना	टी=0		
3	धारा 59(3)(ग) का परन्तुक, विनियम 3(1)(ग)	यदि कारपोरेट व्यक्ति किसी ऋण का दायी है तो ऋण के मूल्यानुसार दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदारों का धारा 59(3)(ग) या विनियम 3(1)(ग) के अधीन पारित संकल्प का अनुमोदन	टी+7		
4	विनियम 5(2)	दिवाला व्यावसायिक द्वारा उसकी परिसमापक के रूप में नियुक्ति के संबंध में बोर्ड को सूचना	टी+7		
5	विनियम 14(1)	परिसमापक द्वारा प्ररूप क में लोक उद्घोषणा	टी+5		
6	धारा 59(4), विनियम 3(2)	कारपोरेट व्यक्ति द्वारा, कंपनी रजिस्ट्रार और बोर्ड को, यथास्थिति, धारा 59(3)(ग) और विनियम 3(1)(ग) के अधीन पारित संकल्प या उसके संबंध में लेनदारों के पश्चात्त्वर्ती अनुमोदन के बारे में अधिसूचना	टी+7 या टी+14		
7	धारा 38(1), विनियम 14(2)	हितधारकों द्वारा दावों का प्रस्तुत किया जाना	टी+30		

8	धारा 38(5)	हितधारकों द्वारा दावे की वापसी/उपांतरण	टी+44		
9	विनियम 9(1)	परिसमापक द्वारा कारपोरेट व्यक्ति को प्रारंभिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना	टी+45		
10	विनियम 29(1)	परिसमापक द्वारा दावों का सत्यापन किया जाना	टी+60		
11	धारा 40(2)	परिसमापक द्वारा हितधारकों को दावे की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी विनिश्चय के बारे में सूचना	टी+67		
12	विनियम 30(2)	परिसमापक द्वारा हितधारकों की सूची तैयार करना	टी+45*/75		
13	धारा 42	लेनदार द्वारा परिसमापक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील	टी+81		
14	विनियम 35(1)	परिसमापक द्वारा हितधारकों को आगमों का वितरण	वसूली की तारीख + 30		
15	विनियम 39(2)	परिसमापक द्वारा अदावाकृत और अवितरित आगमों की रकम का कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा किया जाना	धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व		
16	विनियम 38(2)	परिसमापक द्वारा बोर्ड और कंपनी रजिस्ट्रार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना	टी+90*/270		
17	धारा 59(7), विनियम 38(3)	विघटन के लिए आवेदन के साथ अंतिम रिपोर्ट का न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना	टी+90*/270		
18	विनियम 37(1)	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का पूरा किया जाना	टी+90*/270		
19	विनियम 37(2)	अंशदाताओं की बैठक और वार्षिक स्थिति रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना	टी+365		

टी= समापन प्रारंभ होने की तारीख

*= वहां लागू होता है जहां धारा 59(3) या विनियम 3(1) के अधीन लेनदारों का अनुमोदन अपेक्षित नहीं था

7. दिवाला और शोधन अधमता संहिता, 2016 के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों के किए गए विचलन/अननुपालन निम्नलिखित हैं (यदि कोई विचलन/अननुपालन पाया गया था तो कृपया उसके ब्यौरे और उसके लिए कारणों का कथन करें):

क्रम सं.	पाया गया विचलन/अननुपालन	संहिता की धारा/विनियम सं./परिपत्र सं.	कारण	क्या सुधार किया गया अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

8. संव्यवहारों के परिवर्जन की बाबत फाइल किए गए/लंबित आवेदन(आवेदनों) के व्यौरे:

क्रम सं.	संव्यवहार का प्रकार	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने की तारीख	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की तारीख	आदेश का संक्षिप्त विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार			
2	धारा 45 के अधीन न्यून-मूल्यांकित संव्यवहार			
3	धारा 50 के अधीन अतिशय क्रेडिट संव्यवहार			
4	धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार			

9. यदि प्रक्रिया को पूरा होने में, यथास्थिति 90/270 से अधिक समय लगा है तो कृपया उसके लिए कारण दें।

10. कारपोरेट व्यक्ति से संबंधित ऐसे समस्त अननुमोचित मामलों के संबंध में, यदि कोई हैं, जो किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हैं, उस व्यवस्था के व्यौरों सहित, जो ऐसी लंबित मुकदमेबाजी से उद्भूत होने वाली बाध्यताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए की गई है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट कर दी गई है।

11. विनियम 8 और विनियम 10 में निर्दिष्ट अभिलेखों को, जैसा विनियम 41 के अधीन आदिष्ट है, परिरक्षित रखा जाएगा।

12. ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो परिसमापक प्रस्तुत करना चाहे।

13. मैं.....(परिसमापक का नाम) यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उससे कोई भी तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

(हस्ताक्षर)

परिसमापक का नाम

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.:

बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत पता:

बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

तारीख:.....

स्थान:.....”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./03/2022-23]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 311, तारीख 5 अगस्त, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी. एन./आर.ई.जी.063, तारीख 5 अगस्त, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022

F. No. IBBI/2022-23/GN/REG.081.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (c), for the figure and brackets "3(4)", the figure and brackets "3(3)" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 5, in sub-regulation (2), for the word "three", the word "seven" shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 10, in sub-regulation (2) and clause (r) of sub-regulation (2), for the words "corporate debtor", the words "corporate person" shall be substituted.

5. In the principal regulations, in regulation 30, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that where no claim from creditors has been received till the last date for receipt of claims, the liquidator shall prepare the list of stakeholders within fifteen days from the last date for receipt of claims."

6. In the principal regulations, in regulation 35, in sub-regulation (1), for the words "six months", the words "thirty days" shall be substituted.

7. In the principal regulations, in regulation 37, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) The liquidator shall endeavour to complete the liquidation process of the corporate person and submit the Final Report under regulation 38 within: -

(a) two hundred and seventy days from the liquidation commencement date where the creditors have approved the resolution under clause (c) of sub-section (3) of section 59 or clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 3, and

(b) ninety days from the liquidation commencement date in all other cases."

8. In the principal regulations, in regulation 38, for the sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(3) The liquidator shall submit the Final Report and the compliance certificate in Form-H along with the application under sub-section (7) of section 59 to the Adjudicating Authority."

9. In the principal regulations, in regulation 39, in sub-regulation (7), for the word and letter “Form-H”, the word and letter “Form-I” shall be substituted.

10. In the principal regulations, in Schedule I, for the word and letter “Form-H”, the word and letter “Form-I” shall be substituted.

11. In the principal regulations, in Schedule I, after Form-G, the following form shall be inserted, namely: -

“FORM-H

COMPLIANCE CERTIFICATE

[Under Regulation 38(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017]

I, [Name of the Liquidator], an insolvency professional enrolled with [name of insolvency professional agency] and registered with the Board with registration number [registration number], am the Liquidator for the Voluntary Liquidation Process of [name of the corporate person].

1. The details of the Voluntary Liquidation Process are as under:

Sl. No.	Particulars	Description
(1)	(2)	(3)
1	Name of the corporate person	
2	CIN/LLPIN of the corporate person	
3	NCLT Bench	
4	Date of initiation of voluntary liquidation process	
5	Date of appointment of Liquidator	
6	Liquidator's Registration No. as IP	
7	Whether the Liquidator was replaced during the process (Yes / No)	
If yes	Name of previous Liquidator and his registration No.	
	Date of replacement of previous Liquidator	
8	Date of opening of bank account for liquidation (with account details)	
9	Date of notice for uncalled capital/unpaid capital contribution	
10	Date of realization of uncalled capital/unpaid capital contribution	
11	Date of intimation to statutory authority as applicable. a. PF b. ESI c. Income Tax d. Inspector of Factory e. GST/VAT f. RBI g. Others	
12	Amount deposited into Corporate Voluntary Liquidation Account: a. Amount of unclaimed dividends b. Amount of undistributed proceeds	

	c. Income referred to in sub-regulation (2) and (3) of regulation 39	
	d. Interest referred to in sub-regulation (4) of regulation 39	
	Total	
13	Remuneration of Liquidator (Rs.)	

3. Details of the corporate person:

Sl. No.	Particulars	Description
(1)	(2)	(3)
1	Year of Incorporation	
2	Objects in brief	
3	Paid up Share Capital / Capital (Amount in Rs.)	
4	Assets as on Liquidation Commencement date (Amount in Rs.)	
5	Debt payable as on Liquidation Commencement date (Amount in Rs.)	
6	Net-worth of the Corporate Person (Amount in Rs.)	
7	Reasons for initiating voluntary liquidation, in brief	

4. Details of realisation during Voluntary Liquidation Process:

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1	Sale of Assets	
2	Refund from Statutory Authorities	
3	Cash / Bank balance	
4	Realisation of uncalled/unpaid capital contribution	
5	Distribution of unsold asset	
6	Any other (Please specify)	
Total		

5. Details of distribution to stakeholders as per section 52 or 53 of the Code

(Amount in Rs. lakh)

Sl. No.	Stakeholders* under section 52 and 53 (1)	Amount Claimed	Amount Admitted	Amount Distributed	Amount Distributed to the Amount Claimed (%)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realization of Security Interest [Sec. 52(1)(b)]					

2	Liquidation Cost [Sec. 53(1)(a)]					
3	Workmen's Dues [Sec. 53(1)(b)(i)]					
4	Debts of Secured Creditors [Sec. 53(1)(b)(ii)]					
5	Wages and Unpaid Dues to Employees [Sec. 53(1)(c)]					
6	Debts of Unsecured Financial Creditors [Sec. 53(1)(d)]					
7	Government Dues + Amount Unpaid following Enforcement of Security Interest [Sec.53(1)(e)]					
8	Any remaining Debts and Dues [Sec. 53(1)(f)]					
9	Preference Shareholders [Sec. 53(1)(g)]					
10	Equity Shareholders [Sec.53(1)(h)]					
Total						

*If there are sub-categories in a category, please add rows for each sub-category.

6. The Voluntary Liquidation Process has been conducted as per the stipulated timeline:

Sl. No.	Section / Regulation	Description of Task	Norm (Number of Days)	Compliance Date	Actual Timeline (Number of days)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Section 59(3)(a), Regulation 3(1) (a)	Declaration from majority of directors / partners regarding solvency of corporate person and it not being liquidated to defraud any person	T – 28		
2	Section 59[(3)(c) and (5)], Regulation 3(1)(c) and 3(3)	Passing of resolution / special resolution by members / partners about commencement of voluntary liquidation process and appointment of insolvency professional as liquidator	T = 0		

3	Proviso to Section 59(3)(c), Regulation 3(1)(c)	Approval of creditors representing two-third in value of debt, if the corporate person owes any debt, of the resolution passed under section 59(3)(c) or regulation 3(1)(c)	T + 7		
4	Regulation 5(2)	Intimation by Insolvency Professional regarding his appointment as Liquidator, to the Board	T + 7		
5	Regulation 14 (1)	Public Announcement in Form A by the Liquidator	T + 5		
6	Section 59(4), Reg. 3(2)	Notification to Registrar of Companies and Board about the resolution passed under section 59(3)(c) and regulation 3(1)(c) or subsequent approval of creditors thereto, as the case may be, by corporate person	T + 7 or T + 14		
7	Section 38(1), Regulation 14 (2)	Submission of claims by stakeholders	T + 30		
8	Section 38(5)	Withdrawal/ modification of claim by stakeholders	T + 44		
9	Regulation 9(1)	Submission of preliminary report to the corporate person by the Liquidator	T + 45		
10	Regulation 29(1)	Verification of claims by the Liquidator	T + 60		
11	Section 40 (2)	Intimation about decision of acceptance/ rejection of claim to the stakeholders by the Liquidator	T + 67		
12	Regulation 30(2)	Preparation of list of stakeholders by the Liquidator	T + 45*/75		
13	Section 42	Appeal by creditor against the decision of the Liquidator	T + 81		
14	Regulation 35(1)	Distribution of the proceeds to stakeholders by the Liquidator	Date of realization + 30		
15	Regulation 39(2)	Deposit of amount of unclaimed dividends and undistributed proceeds in Corporate Voluntary Liquidation Account by the Liquidator	Prior to submission of application under sub-section (7) of section 59		
16	Regulation 38(2)	Submission of Final Report to the Board and Registrar of Companies by the Liquidator	T + 90*/270		

17	Section 59(7), Regulation 38(3)	Submission of Final Report, along with the application for dissolution, to AA	T + 90*/270		
18	Regulation 37(1)	Completion of Voluntary Liquidation Process	T + 90*/270		
19	Regulation 37(2)	Meeting of Contributories and presentation of Annual Status Report	T + 365		

T=Liquidation Commencement Date

*Applicable where approval of creditors was not required under section 59(3)(c) or regulation 3(1)(c)

7. The following are deviations / non-compliances with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, regulations made, or circulars issued thereunder (If any deviation/ non- compliances were observed, please state the details and reasons for the same):

Sl. No.	Deviation / Non-compliance observed	Section of the Code / Regulation No. / Circular No.	Reasons	Whether rectified or not
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

8. The details of application(s) filed / pending in respect of avoidance of transactions.

Sl. No.	Type of Transaction	Date of Filing with Adjudicating Authority	Date of Order of the Adjudicating Authority	Brief of the Order
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Preferential transactions under section 43			
2	Undervalued transactions under section 45			
3	Extortionate credit transactions under section 50			
4	Fraudulent transactions under section 66			

9. If the process has taken more than 90 / 270 days, as the case may be, for completion, please state reasons thereof.

10. All undischarged matters pending, if any, before any Court or Tribunal relating to corporate person have been reported to AA, along with the details of provision made to sufficiently meet the obligations arising from such pending litigations.

11. The records referred to in regulations 8 and 10 shall be preserved as mandated under regulation 41.

12. Any other information which the Liquidator may like to submit.

13. I [Name of Liquidator], hereby certify that the contents of this certificate are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed there from.

(Signature)

Name of the Liquidator:

IP Registration No:

Address as registered with the Board:

Email id as registered with the Board:

Date:.....

Place: ”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./03/2022-23]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010 on 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 dated 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2020 published *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG.063 dated 05th August 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 311 on 05th August, 2020.